take its own decision. In regard to raising of retirement age of Central Government employees there is no need to consult the State Governments. In regard to the All India Services, however, the State Governments were consulted and their views were taken into consideration.

प्रशासनिक सुधारों के लिये प्रस्ताव

221. **श्री ओंकार सिंह लखावत:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जन शिकायतों के निवारण और त्वरित और समयबद्ध कार्य निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिये प्रशासनिक सुधार करने की सरकार की मंशा है; और

(ख) क्या सरकार के पास प्रशासन की "परिणामोन्मुख" उत्तरदेयता को सुनिश्चित करने और प्रशासनिक स्थापना व्यय कम करने के लिये कोई प्रस्ताव है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त (बैंकिंग, राजस्व और बीमा) मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० जनार्दनम): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/कार्यालय में एक वरिष्ठ अधिकारी के अधीन एक विकेन्द्रीकृत आंतरिक लोक-शिकायत-निवारण-तंत्र स्थापित किया गया है। प्रशासनिक सुधार तथा लोक-शिकायत विभाग एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है तथा इस शिकायत-निवारण-तंत्र के कार्यकरण की आवधिक रूप से समीक्षा करता है।

प्रभावी, उत्तरदायी और संवेदनशील प्रशासन तथा नागरिकों के प्रति अनुकूल और सहानुभूतिपरक सरकार सुनिश्चित करने के बारे में सरकार के निर्णय के एक हिस्से के रूप में, उपर्युक्त विभाग ने:

(i) महत्वपूर्ण सरकारी-भवनों में सूचना-सुविधा काउंटर स्थापित किए हैं;

(ii) लोगों को सेवाएं प्रदान करने में लगी एजेंसियों में जवाबदेही तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के प्रयोजन से लोक-सेवाओं के प्रति नागरिकों की अनिवार्य हक़दारी समाविष्ट करते हुए, नागरिक-चार्टर बनाने के क्रम में विशेष पहल की है;

(iii) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों से शिकायतों की पावती भेजने एवं उन्हें अंतिम रूप से निबटाने हेतु समय-सीमा निर्धारित करने के लिए कहा गया;

(iv) मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों को इस आशय के दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि यदि कोई शिकायत-याचिका नामंजूर कर दी जाए तो ऐसी नामंजूरी के कारण सूचित किए जाने चाहिए।

संवेदनशील प्रशासन सुनिश्चित किए जाने के क्रम में लागू किए गए बीस-सूत्री कार्यक्रम, 1986 के बीसवें सूत्र के रूप में और एक मूल तत्व-स्वरूप, प्रशासन में जवाबदेही लागू की है।

केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के कार्यालयों में लागू कार्यालय-पद्धति के मेनुअल की प्रक्रियाओं के सरलीकरण के बारे में जब कभी निर्णय लिया जाता है, तो उपर्युक्त विभाग द्वारा उन्हें सरलीकृत किए जाने के कदम उठाकर शीघ्र निबटारा सुनिश्चित करने के सतत प्रयास किए जाते हैं। उपर्युक्त विभाग ने प्रशासनिक व्यय कम करने के बहुत से उपाय शुरू किए हैं, जैसे कि सभी मंत्रालयों/विभागों के कर्मचारियों में 10 प्रतिशत कर्मचारियों की कटौती, नए पदों के सृजन पर प्रतिबंध, टेलीफोनों/मोबाइल फोनों/पेजरों के उपयोग पर प्रतिबंध, नए वाहनों की खरीद पर प्रतिबंध, समयोपरि भत्ते, पेट्रोल, विभिन्न बैठकों/सम्मेलनों/संगोष्ठियों के दौरान अतिथि-सत्कार, मंत्रियों के कार्यालय तथा उनके आवास के कार्यालय-संबंधी भाग की साज-सज्जा संबंधी व्यय पर प्रतिबंध। सामान्य वित्तीय नियम, 1963 में भी ये अनुदेश निहित हैं कि प्रशासनिक प्राधिकारी, अन्य बातों के साथ-साथ सार्वजनिक प्रयोजनों से, धन खर्च करते समय किफायत बरते जाने की आवश्यकता ध्यान में रखें।

Injustice done to Pensioners

222. SHRI PARAG CHALIHA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the injustice done to pensioners who retired prior to 1.1.86 and 1.1.96 as a result of implementation of recommendations of the Fifth Central Pay Commission;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the steps teken/contemplated to extend justice to them?